



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072020-220665
CG-DL-E-24072020-220665

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2141]
No. 2141]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2020/श्रावण 2, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2020/SRAVANA 2, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2020

का.आ. 2426(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, बिहार राज्य में बेगूसराय जिला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिये पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री सच्चिदानंद सुमन, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेगूसराय जिला, बिहार सरकार को श्री कुमार पंकज, वरीय उप समाहर्ता, बेगूसराय जिला, बिहार सरकार के स्थान पर अतिरिक्त प्रभार के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/101/2017-जीपी -II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2020

S.O. 2426(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Sachidanand Suman, Land Reform Deputy Collector, Begusarai Sadar, Government of Bihar vice Shri Kumar Pankaj, Senior Deputy Collector, Begusarai District, Government of Bihar to perform the functions of Competent Authority on additional charge basis under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for all natural gas pipelines of M/s. GAIL (India) Limited for the areas falling under District - Begusarai in the State of Bihar.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/101 / 2017-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.